भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 699

उत्तर देने की तारीख : 08.02.2023

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति देना बंद करना

699#. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022-23 से पहली से आठवीं कक्षा के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद करने से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया है।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज को वर्ष 2022-23 से संशोधित किया गया है और केवल कक्षा IX और X के लिए लागू किया गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान करती है। यह संशोधन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित अन्य समान छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ इस योजना के सामंजस्य के लिए भी किया गया है।

*****